कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर
(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

अवैध हथियार सहित 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

2 कट्टा मय 2 जिन्दा कारतूस बरामद

आजाद **इमरान**

जयपुर 2 मई। जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर श्री कैलाशचन्द्र विश्नोई ने बताया कि जिले में अवैध हथियारों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने 2 अवैध कट्टा 315 बोर मय 2 जिन्दा कारतूस के जप्त कर 2 ब्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

श्री कैलाशचन्द्र विश्नोई ने बताया कि श्री भूरीसिंह स0उ0नि0 मय जाप्ता गस्त के दौरान मुखविर की सूचना पर नगर रोड पेट्रोल पम्प पुलिया के पास कस्वा सीकरी में पैदल–पैदल अवैध हथियार ले जाते हुये पाये जाने पर आरोपी आजाद पुत्र दीनू जाति मेव निवासी विक्टी थाना पुन्हाना जिला नॅूह मेवात हरियाणा को 1 अवैध कट्टा 315 बोर मय 1 जिन्दा कारतूस के गिरफ्तार कर मुकदमा आर्म्स एक्ट के तहत पंजीबद्ध किया गया है।

श्री कैलाशचन्द्र विश्नोई ने बताया कि इसी प्रकार श्री भयामबाबू स0उ0नि0 मय जाप्ता ने गस्त के दौरान मुखविर की सूचना पर गांव झांतली के पास पर पैदल–पैदल अवैध हथियार ले जाते हुये पाये जाने पर आरोपी इमरान पुत्र गफ्फार जाति मेव निवासी फूसौता थाना पुन्हाना जिला नूंह मेवात हरियाणा को 1 अवैध कट्टा 315 बोर मय 1 जिन्दा कारतूस के गिरफ्तार कर मुकदमा आर्म्स एक्ट के तहत पंजीबद्ध किया गया है।

राही/सन्तरा/355/2017

नोटः– उक्त प्रेस नोटwww.police.rajasthan.gov.inपर भी उपलब्ध है।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर
(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

थाना प्रागपूरा जिला जयपुर का स्थाई वारन्टी अवैद्य हथियार सहित वाहन चोरी का आरोपी गिरफ्तार

जयपुर 2 मई। पुलिस अधीक्षक अलवर श्री राहुल प्रकाश ने बताया कि वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाये जाने के लिए जिले के सभी थानाधिकारियों को सख्त निर्देश दिये जाकर विशेष टीमों का गठन किया था। थाना बानसूर ने 2 मई 2017 को वृताधिकारी वृत बहरोड श्री परमाल सिह के निर्देशन में थानाधिकारी मय जाप्ता ने आरोपी कृष्ण उर्फ रामकिशन पुत्र हसंराज जाति गुर्जर उम्र 27 साल निवासी माजरा रावत थाना बानसूर जिला अलवर को गिरफ्तार किया जाकर आरोपी के कब्जे से एक लोडेड देशी कट्टा व चोरी की मोटरसाईकिल बरामद की जाकर आरोपी से चार मास्टर चाबीयॉ भी बरामद की गई। आरोपी से गहनता से पूछताछ की जा रही है।

श्री राहुल प्रकाश ने बताया कि आरोपी द्वारा स्वीकार की गई वारदातें .थाना प्रागपूरा जिला जयपुर से वर्ष 2007 मे पिकअप मय डीजे के चोरी करना व थाने का स्थाई वारन्टी, थाना नारायणपुर जिला अलवर थाना नारायणपुर से 2012 से 2014 तक 5 मोटरसाईकिले चोरी करना व थाना हाजा पर गिरफ्तारी वारन्ट, थाना प्रतापगढ जिला अलवर, थाना प्रतापगढ मे टोडा गांव की मोटरसाईकिल चोरी व मारपीट के प्रकरण में वाछित, थाना थानागाजी जिला अलवर – मोटरसाईकिल चोरी में वाछित, थाना जीआरपी जयपुर जिला जयपुर –थाना जीआरपी जयपुर द्वारा पुर्व में मोटरसाईकिल चोरी में गिरफ्तार एवं वाछित तथा वारन्टी, पुलिस थाना जी आर पी फुलेरा– थाना जी आर पी फुलेरा पर 2016 में स्टेशन से मो.सा चोरी में वान्छित, पुलिस थाना रेनवाल– थाना रेनवाल में वर्ष 2016 में बस स्टैण्ड से मोटरसाईकिल चोरी में वान्छित, पुलिस थाना नीमकाथाना सदर–थाना नीमकाथाना सदर में वर्ष 2016 में चला से मोटरसाईकिल चोरी में वान्छित तथा पुलिस थाना कवाईसालपुरा– कवाई बस स्टैण्ड से वर्ष 2016 में मोटरसाईकिल चोरी में वान्छित।

तरीका–ए–वारदात– अभियुक्त मोटरसाईकिल का लॉक मास्टर की से पलक झपकते ही खोल कर मोटरसाईकिल को चोरी कर ले जाता था तथा अपने साथ बैग में एक पेट्रोल की बोतल भर कर रखता था ताकि पेट्रोल खत्म होने पर भर सके। ग्राहक द्वारा मोटरसाईकिल को

खडी करके दुकान पर या बस बैठाने के लिए जाते ही मोटरसाईकिल का लॉक तोड ले जाता था। अभियुक्त रेल्वे स्टेशन पर ही सोना व रहना करता था। अभियुक्त जयपुर से मोटरसाईकिल चोरी करने के बाद रात को वही जयपुर में रुक कर सुबह कालवाड–जोबनेर–रेनवाल– रींगस मुडरु–शाहपुरा–आतेला–कराणा–मालाखेडा होता हुआ चोरगढी भरतपुर में जाकर मोटरसाईकिलों को 5000 से 6000 के बीच बेचता था व वहां से बस में बैठकर वापस जयपुर आ जाता था। अभियुक्त को घर पर आये लगभग 02 साल हो गये।

ऐशो आराम की जिन्दगी– अभियुक्त जब 5–6 मोटरसाईकिले चोरी कर बेच देता था तब बाहर कमरा किराये पर लेकर मोटरसाईकिल चोरी के रुपयों से ऐशो आराम करता था। अभियुक्त ने रेनवाल, अन्ता, कवाई सालपुरा मे किराये के कमरे में रहकर विलासितापुर्ण जीवन यापन किया था। जब रुपयों की आवश्यकता होती तो वापस चोरी का काम शुरु कर देता था। अभियुक्त हमेशा नई मोटरसाईकिल ही चोरी करता था ताकि रुपये अच्छे मिले।

राही/सन्तरा/356/2017

नोटः– उक्त प्रेस नोटwww.police.rajasthan.gov.inपर भी उपलब्ध है।